

3. प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	जिला कोड	परियोजना / विकासखण्ड	माडा	लघु अंचल	विशेष
1	धमतरी	26	धमतरी	गंगरेल	—	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
2	महासमुंद	23	महासमुंद	महासमुंद-1, महासमुंद-2	—	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
3	खैरागढ़-गंडई- छुईखदान	35	छुईखदान, खैरागढ़	नचनिया	—	पूर्व में LWE जिला राजनांदगांव का भाग होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
4	राजनांदगांव	22	डोंगरगढ़	—	बछेराभाटा	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
5	कबीरधाम	27	—	कबीरधाम	—	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
6	मुंगेली	32	गौरैला	—	—	LWE जिला होने के कारण संपूर्ण जिले के विद्यार्थी पात्र होंगे
7	सक्ती	33	सक्ती	रुगजा	—	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न हैं। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त/परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें)
8	सारंगढ़-बिलाईगढ़	36	सारंगढ़, बरमकेला	सारंगढ़	—	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न हैं। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त/परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें)
9	बलौदाबाजार	37	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	धुरी-बांधा	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न हैं। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त/परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें)
10	रायगढ़	31	रायगढ़	गोपालपुर	—	अनुसूचित क्षेत्र में शामिल ग्रामों की सूची संलग्न हैं। सूची देखें या जिले के सहायक आयुक्त/परियोजना प्रशासक कार्यालय से संपर्क करें)

—सही—

आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास

इंद्रावती भवन, नवा रायपुर